

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 116/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लि.

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री सुनील राणा

(1) प्लॉट नं. 95-ए, कृष्णा नगर, बोरिंग रोड, नीयर शिवाजी नगर क्रॉसिंग, अपोजिट गोल्डन
बेकरी, झोटवाडा, जयपुर ।

(2) प्लॉट नं. 95 कृष्णा नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

2. श्रीमती हसीना

(1) प्लॉट नं. 95-ए, कृष्णा नगर, बोरिंग रोड, नीयर शिवाजी नगर क्रॉसिंग, अपोजिट गोल्डन
बेकरी, झोटवाडा, जयपुर ।

(2) प्लॉट नं. 95 कृष्णा नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ।

3. (3) अम्बेकर भवन, नीयर सिविल लाईन्स फाटक, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।

आदेश


दिनांक 09.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
26.03.2008 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती हसीना के स्वामित्व
की सम्पत्ति प्लॉट नं. 95 उत्तरी हिरसा कृष्णा नगर, कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल
82.63 वर्गगज को बन्धक रख कर 12,99,490/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।
अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम
की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी
किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर
प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and
enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर

जस्ट्रेट
जयपुर

अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 12,99,490/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि नय ब्याज कुल राशि 12,29,193/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.10.2017 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती हसीना के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 95 उत्तरी हिस्सा कृष्णा नगर, कालवाड रोड शोटवाडा जयपुर क्षेत्रफल 82.63 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
7. आदेश आज दिनांक 09.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।


 9/9/21
 (अन्तर सिंह नेहरा)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर